

एफ. संख्या सीबीआईसी-20001/6/2024-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितंबर, 2024

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/ आयुक्त,
केन्द्रीय कर,
सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक।

महोदया/महोदय,

विषय: डेमो वाहनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता पर स्पष्टीकरण-के संदर्भ में

डेमो वाहन ऐसे वाहन हैं जिन्हें मोटर वाहनों की बिक्री के लिए अधिकृत डीलरों को डीलरशिप मानदंडों के अनुसार अपने विक्रय केन्द्र पर बनाए रखना आवश्यक होता है तथा इनका उपयोग ट्रायल रन प्रदान करने तथा संभावित खरीदारों को वाहन की विशेषताओं का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। ये वाहन अधिकृत डीलरों द्वारा वाहन निर्माताओं से कर इन्वाइस के आधार पर खरीदे जाते हैं और आमतौर पर अधिकृत डीलरों की खाते में पूंजीगत संपत्ति के रूप में दर्शाए जाते हैं। डीलरशिप मानदंडों के अनुसार, इन वाहनों को अधिकृत डीलरों द्वारा एक निश्चित अनिवार्य अवधि के लिए डेमो वाहन के रूप में रखा जाना आवश्यक हो सकता है और उसके बाद, डीलर द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचा जा सकता है और उस समय लागू कर देय होगा।

2. डेमो वाहनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिए संदर्भ प्राप्त हुआ है:

- i. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'सीजीएसटी अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 17(5) के खंड (ए) के अंतर्गत डेमो वाहनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता, जो यात्रियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन हैं, जिसमें लोगों के बैठने की क्षमता 13 व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) से अधिक नहीं है।
- ii. डेमो वाहनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता, ऐसे मामलों में जहां ऐसे वाहनों को अधिकृत डीलरों द्वारा खाते में पूंजीकृत किया गया हो।

3. क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त मुद्दों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट करता है।

4. **सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड (ए) के अनुसार डेमो वाहनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता, जो यात्रियों के आवागमन के लिए मोटर वाहन हैं, जिसमें लोगों के बैठने की क्षमता 13 व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) से अधिक नहीं है।**

4.1 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड (ए) में यह प्रावधान है कि ऐसे वाहन के संबंध में जिसमें लोगों के बैठने की क्षमता 13 व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) से अधिक नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा, **सिवाय इसके कि जब उनका उपयोग निम्नलिखित कर आपूर्ति करने के लिए किया जाता है**, अर्थात:

अ . ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति हो ; या

ब . यात्रियों के आवागमन में हो ; या

स . ऐसे मोटर वाहनों का उपयोग गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण देने में हो ।

4.2 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड(ए) में निहित इस नियम का उद्देश्य, जैसा कि इस अभिव्यक्ति के प्रयोग से प्रकट होता है कि **“जब उनका उपयोग निम्नलिखित कर आपूर्ति के लिए किया जाता है”** तब कुछ मामलों को (उक्त मोटर वाहन का उपयोग करके की जा रही बाहरी कर आपूर्ति की प्रकृति के आधार पर) निर्दिष्ट मोटर वाहनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने पर प्रतिबंध से बाहर रखना है, अर्थात ऐसे मोटर वाहन जिसमें लोगों के बैठने की क्षमता तेरह व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) से अधिक नहीं है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड (ए) के प्रावधानों के अनुसार कर देय आपूर्ति जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के अवरोध से बाहर रखने के उद्देश्य से स्वीकृत ऐसे मोटर वाहनों की आपूर्ति, यात्रियों के आवागमन और ऐसे मोटर वाहनों को गाड़ी चलाने के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है।

4.3 चूंकि डेमो वाहनों का उपयोग प्राधिकृत डीलरों द्वारा ट्रायल रन प्रदान करने तथा संभावित खरीददारों को वाहन की विशेषताओं को बताने के लिए किया जाता है, अतः यह स्पष्ट है कि डेमो वाहनों का उपयोग प्राधिकृत डीलर द्वारा यात्रियों के परिवहन की कर आपूर्ति प्रदान करने या ऐसे मोटर वाहनों का उपयोग गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए, डेमो वाहन सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड (ए) के उप-खंड (बी) और (सी) में निर्दिष्ट अपवादों में शामिल नहीं हैं। तदनुसार, यह देखना होगा कि क्या विचाराधीन डेमो वाहनों को “ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति” करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड (ए) के उप-खंड (ए) में विनिर्दिष्ट है।

4.4 ऐसे मोटर वाहनों के संबंध में, जिसमें लोगों के बैठने की क्षमता 13 व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) से अधिक नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अवरोध के प्रावधान के संबंध में, **सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड (ए) के उप-खंड (ए) में “उक्त मोटर वाहन” के स्थान पर “ऐसे मोटर वाहन” शब्दों का उपयोग**, यह दर्शाता है कि नियम निर्माताओं का इरादा न केवल उस मोटर वाहन को इनपुट टैक्स क्रेडिट के अवरोध से बाहर रखना है, जो स्वयं आगे आपूर्ति किया जाता है, बल्कि उस मोटर वाहन को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के अवरोध से बाहर रखना है, जिसका उपयोग समान प्रकार के मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति के उद्देश्य से किया जा रहा है। चूंकि डेमो वाहनों का उपयोग अधिकृत डीलरों द्वारा ट्रायल रन के लिए तथा संभावित खरीददारों को वाहन की विशेषताएं बताने के लिए किया जाता है, इससे संभावित खरीददारों को किसी विशेष प्रकार के मोटर वाहन को खरीदने का निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसलिए, चूंकि डेमो वाहन समान प्रकार के मोटर वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देते हैं, इसलिए डीलर द्वारा इन्हें ‘ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति’ के लिए उपयोग किए जाने पर विचार किया जा सकता है। **तदनुसार, डेमो वाहनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड (ए) के अंतर्गत अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि इसे उक्त खंड के उप-खंड (ए) के अनुसार ऐसे अवरोध से बाहर रखा गया है।**

4.5 ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं, जहां व्यक्तियों के आवागमन के लिए मोटर वाहन, का उपयोग जिसमें तेरह व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) से अधिक की बैठने की क्षमता नहीं है, किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति करने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए जैसे कि उसके स्टाफ कर्मचारियों/प्रबंधन आदि के आवागमन के लिए किया जाता है। ऐसे मामलों में, इसे ‘ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति’ करने के लिए उपयोग करने योग्य नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, ऐसे मोटर वाहनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड (ए) के उप-खंड (ए) के संदर्भ में अवरोध से बाहर नहीं रखा जाएगा।

4.6 इसके अलावा, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां अधिकृत डीलर वाहन निर्माता की ओर से वाहन के संभावित ग्राहकों को वाहन टेस्ट ड्राइव की सुविधा प्रदान करने सहित मार्केटिंग सेवा प्रदान करने के लिए वाहन निर्माता के लिए केवल एजेंट या सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है और वाहनों की खरीद और बिक्री में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है। ऐसे मामलों

में, वाहन का विक्रय इन्वाइस वाहन निर्माता द्वारा सीधे ग्राहक को जारी किया जाता है। वाहन के संभावित ग्राहकों को वाहन टेस्ट ड्राइव की सुविधा प्रदान करने के लिए, डीलर वाहन निर्माता से डेमो वाहन खरीदता है। डीलर, वाहन निर्माता के साथ हुए समझौते के अनुसार, लागू जीएसटी के भुगतान पर, निर्दिष्ट समय या किलोमीटर के बाद ग्राहक को उक्त डेमो वाहन बेच सकता है। ऐसे मामले में, अधिकृत डीलर वाहन निर्माता को केवल मार्केटिंग और/या सुविधा सेवाएं प्रदान करता है तथा वह स्वयं मोटर वाहनों की आपूर्ति नहीं करता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त डेमो वाहन का उपयोग डीलर द्वारा ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। तदनुसार, इस प्रकार के मामलों में, ऐसे डेमो वाहन के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड (ए) के उप-खंड (ए) के अनुसार अवरोध से बाहर नहीं रखा जाएगा और इसलिए, उक्त डीलर को उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा।

5. ऐसे वाहनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता, जहां ऐसे वाहनों को अधिकृत डीलरों द्वारा बही- खाते में पूंजीकृत किया गया हो।

5.1 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक पूंजीकृत करदाता, उसको की गई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और जिस तरीके से निर्दिष्ट किया गया है, लेने का हकदार है, जहां ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय के क्रम में या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है।

5.2 इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(52) में "माल" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है,

"माल" से तात्पर्य धन और प्रतिभूतियों के अलावा हर प्रकार की चल संपत्ति से है, लेकिन इसमें कार्रवाई योग्य दावा, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी या भूमि का हिस्सा बनने वाली चीजें शामिल हैं, जिन्हें आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के अनुबंध के अंतर्गत अलग करने पर सहमति हुई है।

5.3 इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(19) में "पूंजीगत वस्तुओं" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है,

"पूंजीगत माल" से अभिप्राय उन वस्तुओं से है, जिनका मूल्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले व्यक्ति की बही-खाता में पूंजीकृत है तथा जिनका उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है या किया जाना है।

5.4 जैसा कि ऊपर के पैरा में बताया गया है, चूंकि डेमो वाहनों का उपयोग अधिकृत डीलरों द्वारा समान प्रकार के मोटर वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे वाहनों का उपयोग अधिकृत डीलरों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। जहां ऐसे वाहनों को अधिकृत डीलर द्वारा बही खाता में पूंजीकृत किया जाता है, उक्त वाहन सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(19) के तहत "पूंजीगत माल" की परिभाषा के अंतर्गत आता है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधान के अनुसार, निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, माल का प्राप्तकर्ता किसी भी माल की आनेवाली आपूर्ति पर लगाए गए कर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार है, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(52) के तहत "माल" की परिभाषा के अनुसार पूंजीगत सामान भी शामिल हैं। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(19) यह भी मानती है कि पूंजीगत माल का उपयोग या उपयोग करने का इरादा व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है।

तदनुसार, अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, अधिकृत डीलरों की बही खाता में ऐसे वाहनों के पूंजीकरण के कारण डेमो वाहनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता प्रभावित नहीं होती है।

5.5 हालांकि, इसका उल्लेख किया जाना चाहिए कि डेमो वाहनों के पूंजीकरण के मामले में, इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (3) के प्रावधानों के अधीन होगी, जो यह प्रावधान करती है कि जहां पूंजीकृत व्यक्ति ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पूंजीगत माल और संयंत्र और मशीनरी की लागत के कर घटक पर मूल्यहास का दावा किया है, उक्त कर घटक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि वे डेमो वाहन, जो पूंजीकृत हैं, उनको बाद में अधिकृत डीलर द्वारा बेचा जाता है, तो अधिकृत डीलर को केंद्रीय माल और

सेवा कर नियम, 2017 के नियम 44(6)जिसे के साथ सीजीएसटी अधिनियम की धारा 18(6) के प्रावधानों के अनुसार राशि या कर का भुगतान करना होगा।

6. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त व्यापार सूचनाएं जारी की जाएं।

7. यदि, इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो, तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

(संजय मंगल)

प्रधान आयुक्त (जीएसटी)